



इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ, (छ.ग.)

क्र.- भ.वनि/इ.क.स.वि./2023/331

दिनांक 6/10/2023

Tender Corrigendum

विश्वविद्यालय द्वारा जारी निविदा क्र.-01/भ.वनि/इ.क.सं.वि.वि./2023 दिनांक 25.09.2023 में निम्नानुसार सुधार किया जाता है जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.	बोलीदाता के लिए निर्देश क्रमांक	त्रुटि	सुधार कर यह पढ़ा जाये
1.	2. न्यूनतम पात्रता A1.	कानूनी वैध ईकाई: बोली लगाने वाला अनिवार्य रूप से कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत लिमिटेड कंपनी या प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में कानूनी रूप से वैध ईकाई होना चाहिए। जेवी/प्रोपाईटरशिप, पार्टनरशिप के रूप में बोली लगाने वाले को अनुमति नहीं हैं। बोलीदाता की कानूनी वैधता का समर्थन करने के लिए एक प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा।	कानूनी वैध ईकाई: बोली लगाने वाला अनिवार्य रूप से कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत लिमिटेड कंपनी या प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में कानूनी रूप से वैध ईकाई होना चाहिए। जेवी/प्रोपाईटरशिप, पार्टनरशिप के रूप में बोली लगाने वाले को अनुमति होगी। बोलीदाता की कानूनी वैधता का समर्थन करने के लिए एक प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा।

(प्रो.डॉ.आई.डी.तिवारी)  
कुलसचिव